Hindustan

Kahi party ka sur na ho jaaye besura

Date: 27-12-2007 | Edition: Delhi | Page: 1 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 28 H: 11

अगर आप न्यू ईयर नाइट पर घर से बाहर किसी होटल, पब या डिस्कोथेक में कजरारे-कजरारे... पर थिरकने का मन बना चुके हैं तो बुकिंग से पहले जान लें कि आयोजकों के पास बॉलीवुड म्यूजिक बजाने का लाइसेंस है भी या नहीं। कहीं आपकी नासमझी और आयोजकों की कोताही के चलते न सिर्फ न्यू ईयर नाइट खराब हो, बल्कि काफी खर्च करने के बाद भी आप खुद को ठगा सा महसूस करें। पेश है शैलेन्द्र सिंह की रिपोर्ट

कहीं पार्टी का सुर न हो जाए बेसुरा

imma™

Hindustan

Kahi party ka sur na ho jaaye besura

Date: 27-12-2007 | Edition: Delhi | Page: 1 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 28 H: 11

क्या कहता है कानून

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 35 के तहत बिना लाइसेंस फीस का भुगतान किए कमर्शियल स्तर पर बॉलीवुड म्यूजिक बजाना अपराध है। धारा 35 के तहत पीपीएल को नए साल व अन्य बड़े अवसरों व आयोजनों पर होटलों-पबों आदि को कमर्शियल म्यूजिक के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। इस शुल्क की राशि आयोजन के दौरान संगीत बजाने की अवधि और समारोह में शिरकत करने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से तय की जाती है।

सजा का प्रावधान

अवैध ढंग से कमर्शियल यूज के संगीत बजाने वालों के खिलाफ तीन साल की सजा या दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, संगीत के सभी उपकरणों को भी जब्त किया जा सकता है।

लाइसेंस पर आने वाला खर्च

विशेष व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में बजने वाले संगीत का लाइसेंस लेने वास्ते आईएमए तीन घंटे के और आयोजन में शिरकत करने वाले लोगों की संख्या पांच सौ से कम होने पर 65,250 रुपये (4 फीसदी वैट अलग से) वसूलती है। इसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए लगभग 21 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ता है।

ग्राहकों के लिए सावधानी

किसी भी क्लब, रेस्तरां, पब व होटल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बुकिंग से पहले उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ले लें। अगर आयोजक की ओर से म्यूजिक पर थिरकने का भी इंतजाम किया गया है तो आप उसके लाइसेंस की भी जांच करें।

न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों में पांच सितारा होटलों, पबों और रेस्तराओं में मनाने का क्रेज बीते कुछ सालों से खूब देखने को मिल रहा है। आज आलम यह है कि न केवल संभ्रांत, बल्कि मध्यमवर्गीय लोग भी अब ऐसे अवसरों को यादगार बनाने के लिए खूब खर्च करने लगे हैं। यही वो कारण है कि आज दिल्ली एनसीआर में फैले हजारों छोटे-बड़े क्लब जोरशोर से न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई अपनी साख को कैश कर रहा है तो कोई लेटेस्ट गानों को बजाने और एन्जॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कपल एंट्री सिस्टम लागू किए हुए है। किसी के मेन्यू में अनलिमिटेड विदेशी शराब है तो कोई वेज-नॉनवेज खाने के बहाने ग्राहकों को लुभा रहा है। सीधे-सीधे इन आयोजकों का उद्देश्य न्यू ईयर नाइट में ज्यादा से ज्यादा कमाई करना है, फिर इसके लिए चाहे उन्हें कितना ही स्वांग क्यों न रचना पड़े।

अगर आप भी अपनी न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे ठिकानों की तलाश कर रहे हैं, जहां भले ही चार पैसे ज्यादा लग जाएं, लेकिन जम कर मौज मस्ती हो तो किसी भी जगह को फाइनल करने से पहले जरा ठहरें। कहीं ऐसा न हो कि क्लब की ओर से आपको इस बात की जानकारी ही न दी गई हो कि उसने बॉलीवुड म्यूजिक बजाने के लिए आईएमए(इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री) से सम्बध फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड से लाइसेंस लिया ही नहीं है। अगर ऐसे किसी क्लब में आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे तो मुमकिन है कि आप खुद को ठगा महसूस करेंगे। आईएमए की ओर से इस साल लाइसेंस के बिना अवैध रूप से बॉलीवुड म्यूजिक बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली एनसीआर में ही 7,200 एग्जीक्यूटिव तैनात किए गए हैं। यह एग्जीक्यूटिव न सिर्फ नियमों का उल्लंघन कर रहे आयोजनों को बंद कराने का काम करेंगे, बल्कि नियमों के खिलाफ आयोजन कर रहे क्लब, पब व होटलों के खिलाफ वो सबूत भी जुटाएंगे, जिनकी मदद से उन पर भारी जुर्माना ठोका जाएगा।

इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की ओर से अवैध ढंग से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए म्यूजिक बजाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित पीपीएल के नेशनल सेल्स मैनेजर (इवेंट) सौम्य चौधरी ने बताया कि हमने अभी तक दिल्ली एनसीआर के तीन सौ से भी ज्यादा होटलों, पबों, रेस्तराओं, डिस्कोथेक्स और फार्म हाउसों को नोटिस भेजा है। यह ऐसे आयोजक है, जो अक्सर पकड़े जाने पर एक ही बात दोहराते हैं कि हम संगीत नहीं बजा रहे थे।

इस बार पीपीएल ने ऐसा जवाब देने वालों को सीधे लाइसेंस शुल्क अदा करने के लिए कहा है। सौम्य बताते हैं कि इनमें से कई आयोजकों की ओर से पॉजटिव जवाब भी आ गए हैं और वो औपचारिक लाइसेंस लेने को तैयार भी हैं, लेकिन ढीठ आयोजक की फेहरिस्त अभी भी काफी लम्बी है और ऐसे आयोजक के चक्कर में कहीं आप फंसे तो मोटी राशि चुकाने के बाद भी आपकी न्यू ईयर नाइट बर्बाद हो सकती है। सौम्य की मानें तो इस साल लाइसेंस शुल्क जमा कराने का शपथ-पत्र जारी करने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर थी, लेकिन अभी भी ऐसे सैकड़ों आयोजकों ने लाइसेंस नहीं लिया है, जो न्यू ईयर नाइट के लिए धड़ल्ले से बुकिंग में जुटे हैं। यह वही आयोजक हैं, जो टोटल मस्ती के नाम पर एक कपल एंट्री पर 5 हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं।

पीपीएल की मानें तो बीते साल इस कार्रवाई के घेरे में दिल्ली एनसीआर के 162 पब, 20 रेस्तराओं व फॉर्म हाउसों सहित एक दर्जन पांच सितारा होटलों को नोटिस भेजा गया था। इस साल भी पीपीएल की ओर से पहले चरण के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।